यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं अंशुमन अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री आशीष पाण्डेय, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.03.2021 से 07.04.2021 तक श्री राजकुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री अनूप कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री आशीष सिंह तडियाल, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 31.05.2019 से 12.06.2019 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह ----- से ----- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, रामनगर से काठगोदाम तक।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	1168.44
2018-19	1079.55
2019-20	631.61

(ii) (ब) बजट का विवरण विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2017-18	-	-	1051.30	1041.63	227.58	219.50	-	9.67	8.01
2018-19	-	-	1004	1000	315.07	312.91	-	4	2.16
2019-20	-	-	916.28	916.28	294.57	292.57	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. आ.	प्राप्त	व्यय	बचत (%)
-	-	-	-	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह सितम्बर, 2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह नवम्बर, 2019 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: .....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)

भाग-II (अ)

" शून्य "

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : वन निगम द्वारा आवंटित लाटों का पातन न किए जाने के कारण वृक्षों की अवरुद्ध रॉयल्टी।

प्रस्तर:02 वन निगम से विकास कार्यो हेतु वृक्षों के पातन की रायल्टी ₹ 11.89 प्राप्त न किया जाना।

प्रस्तर :03 अवैध पातन किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 7.58 लाख।

प्रस्तर -04 बकाया राजस्व की वसूली न किया जाना।

प्रस्तर 05: अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा देय जमानत धनराशि जमा न कराया जाना ₹ 1.06 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

" शून्य "

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर-06 क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किए जाने से अवरुद्ध धनराशि ₹ 55.01 लाख ।

प्रस्तर :07 वन पंचायतों को दी गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ना किया जाना ₹ 38.11 लाख।

प्रस्तर – 08 वन जमा मे धनराशि का अवरुद्ध रहना ₹ 151.13 लाख।

प्रस्तर- 09 सेवा शुल्क के ₹4.14 लाख का अधिक भुगतान एवं संविदा कर्मियों के ई एस आई एवं ई पी एफ जमा नहीं कराया जाना ।

(राजस्व से संबन्धित)

भाग- दो ब

प्रस्तर- 01 : वन निगम द्वारा आवंटित लाटों का पातन न किए जाने के कारण वृक्षों की अवरुद्ध रॉयल्टी।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रदेश में वनों के वृक्षों के पातन एवं प्रकाष्ठ के विक्रय हेतु एकमात्र अधिकृत प्राधिकारी है। अतः, इससे अपेक्षित है कि यह विभाग के द्वारा चिह्नित प्रत्येक लॉट का पातन करे।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग,रामनगर के अभिलेखो की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से वर्ष 2017-18 तक अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार लाटों को वर्ष 2019-20 में पातन के कार्य हेतु वन निगम को आवंटित किया गया था परंतु वर्ष 2019-20 में पातन कार्य हेतु आवंटित की गयी लाटों में से प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखंड वन विकास निगम, कालाढूंघी (पूर्वी) द्वारा 15 लाटों, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखंड वन विकास निगम, कालाढूंघी (पश्चिमी) द्वारा 05 लाटों तथा प्रभागीय लोगगिंग प्रबन्धक, उत्तराखंड वन विकास निगम, पूर्वी रामनगर द्वारा 02 लाटों, जहां पातन कार्य योजना के अनुसार अनुमन्य था परन्तु पातन का कार्य नहीं किया गया था। वन निगम द्वारा लाटों का पातन न किए जाने के कारण वन विभाग को अनुमानित 2681.68 घन मीटर प्रकाष्ठ से प्राप्त होने वाली अनुमानित रॉयल्टी ₹ 798.45 लाख प्राप्त नहीं हो पायी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि वन निगम द्वारा वर्षा के कारण लाटों का पातन नहीं किया गया है तथा वन निगम को पुनः वर्ष 2019-20 में वापस की गयी लाटों का आवंटन किया गया है तथा वर्तमान में उक्त लाटों में पातन का कार्य गतिमान है।

अतः वन निगम द्वारा समयानुसार आवंटित लाटों का पातन न किए जाने के कारण वृक्षों से वन विभाग को प्राप्त होने वाली रॉयल्टी ₹ 798.45 लाख अवरुद्ध रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

वन निगम द्वारा वर्ष 2019-20 की आवंटित लाटे जो वापस की गयी																									
लौट नम्बर	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**24**	**29**	**33**	**35**	**36**	**40**	**कुल आयतन (घन मी.)**	**रॉयल्टी की दर/ घन मी.**	**कुल रॉयल्टी**
साल	17.35	29.63	28.66	0	25.35	6.674	38.2	5.17	0	0	0	2.19	0	0	99.36	0	152.58	79.29	96.22	56.47	0.336	164.54	**802.006**	51105	40986517
शीशम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.360	0	0	0	0	0	0	0	4.82	0	**8.18**	37432	306193.8
आम	0	0	0	0	0	0	1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.161**	4295	4986.495
खैर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.57	0	94.68	0	0	37.96	0	0	893.68	0	**1028.887**	28763	29593877
बहेडा	0	0	0	0	0	0	0.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.349	0	0	0	0	**3.889**	1330	5172.37
सागौन	0	0	0	0.03	0	0	0	0	0	1.09	3.61	1.36	3.67	15.23	0	2.2	0	0.581	22.42	2.143	1.097	0	**53.457**	41205	2202696
बांकुली	2.112	18.46	12.16	0	0	0	8.19	0	0	0	0	0	0	0	56.79	0	0.647	48.64	0	24.69	0	0	**171.69**	8192	1406484
सैन	8.566	14.38	1.645	0	5.441	6.156	7.87	0.95	0	0	0	0	0	0	12.25	0	4.380	4.72	0	1.003	0	0	**67.363**	11252	757968.5
जामुन	0.383	4.006	1.195	0	3.71	4.047	0.17	0.51	0	0.57	0	0	0	0	0.255	0	7.062	0.643	0.043	1.148	0	0.428	**24.171**	5022	121386.8
कोकाट	1.126	3.92	1.71	0	10.71	17.59	2.3	0	0	0	0.06	0	0.13	0	21.43	0	0.404	21.69	0	9.414	2.079	0	**92.566**	4295	397571
धौडी	0.127	0.842	0	0	0	0	0.67	0	0	0	0	0	0	0	2.547	0	0	1.363	0	3.943	0	1.066	**10.562**	4295	45363.79
सिरस	3.889	7.903	5.846	0.48	0.358	0	0	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0	2.007	0	0	0	0.361	0	**21.199**	7415	157190.6
सादन	1.403	1.785	0	0	10.88	43.19	0	1.15	0	0	0	0	0	0	55.19	0	1.148	8.209	0	10.79	0	0	**133.743**	17366	2322581
चीड	0	0	0	0	17.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.797	0	0	0	0	0	0	0	**22.332**	3912	87362.78
झींगन	0.367	1.637	1.325	1.31	0.139	0.457	1.92	0.1	0	0	0	0	0	0	1.937	0	0	6.806	0	2.301	0.367	1.135	**19.796**	1184	23438.46
बांज	0	0	0	0	3.763	2.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6.164**	4295	26474.38
हल्दू	0.616	9.104	1.42	0	0	1.33	4.86	0.14	0	0	0	0	0	0	1.725	0	1.6	1.555	0	3.695	7.94	0	**33.983**	20435	694442.6
कंजू	0	3.193	0	0.43	0	0	0	0	0	0.87	0	0	0	0	1.526	0	0	2.664	0	0	9.194	0	**17.877**	2163	38667.95
कुसूम	0	2.459	1.526	0	0	0	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4.838**	4295	20779.21
तुन	0	0	0	0	0	3.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.282	0	0	0	0	0	**10.535**	17203	181233.6
महुवा	0	1.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.894**	4295	8134.73
रोहनी	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.149	0	**0.213**	805	171.465
अमलतास	0	0.786	0.276	0	0.298	0.574	1.15	0	0	0	0	0	0.45	0	5.34	0	0.298	12.6	0	12.42	0	1.02	**35.205**	4295	151205.5
खरपट	0	0.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.255	1.326	0	0	0	0	**2.264**	4295	9723.88
हरड	0	0	0.368	0	0	1.009	2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.425	1.307	0	0	0	0	**5.4**	4295	23193

चीड़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.356	0	0	0	0	0	**25.356**	3912	99192.67
बॉज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.265	0	0	0	0	0	**2.265**	4295	9728.175
युकेलिप्टिस	0	0	0	0	0	0	0	0	73.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**73.169**	2138	156435.3
तेन्दू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516	0	0	0	0	**1.516**	4295	6511.22
	35.94	**100.7**	**56.13**	**2.25**	**78.18**	**86.68**	**70.3**	**8.36**	**73.17**	**2.53**	**3.67**	**3.55**	**10.2**	**15.23**	**357.8**	**2.2**	**205.71**	**234.2**	**118.7**	**128**	**920.02**	**168.19**	**2681.681**		**79844678.59**

(राजस्व से संबन्धित)

भाग- दो ब

प्रस्तर:02 वन निगम से विकास कार्यो हेतु वृक्षों के पातन की रायल्टी ₹ 11.89 लाख प्राप्त न किया जाना।

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकृत (नवम्बर 2012) 'उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों में कार्य करने हेतु कटान चिरान की शर्तों' के बिन्दु संख्या 31 के अनुसार लॉट के मूल्य का एक तिहाई भाग 1 मार्च को, दूसरा तिहाई भाग 1 जून को एवं तीसरा तिहाई भाग 1 सितंबर को वन निगम द्वारा जमा किया जाएगा।तथापि, प्रबंध निदेशक- उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने अपने स्थायी आदेश दिनांक 14 सितंबर 2016 के द्वारा निर्णय लेते हुए निर्देश जारी किया कि विकास कार्यों से संबन्धित वृक्षों की रॉयल्टी अब निगम द्वारा भुगतान नहीं की जाएगी। उक्त वृक्षों की रॉयल्टी वृक्षों से प्राप्त विक्रय मूल्य में 20 प्रतिशत कटौती करने के पश्चात शेष धनराशि कार्यदायी/ आवटी संस्था भुगतान किए जाने की बात कही गयी। उक्त निर्णय विभाग द्वारा जारी उपरोक्त शर्तों के प्रतिकूल था ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग,रामनगर की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 एव वर्ष 2019-20 में विकास कार्यों/ मार्ग निर्माण से संबन्धित आवंटित लॉट संख्या 42,43 एव 18 पर वन निगम द्वारा कार्य किया गया था। उक्त लाटों संख्या 42,43 (वर्ष2018-19) से कुल 92.143 घन मीटर प्रकाष्ठ तथा लाट संख्या 18 (वर्ष 2019-20) से कुल 7.814 की प्राप्ति दिखाई गयी है तथापि उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी निगम द्वारा विभाग को मार्च, जून एवं सितंबर की नियत तिथियों को भुगतान नहीं किया गया। इस कारण से वर्ष 2018-19 एव वर्ष 2019-20 की रॉयल्टी दरों पर उक्त 99.957 घन मीटर प्रकाष्ठ का मूल्य/रॉयल्टी ₹11.89 लाख निगम के पास अवरोधित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि वन निगम द्वारा रॉयल्टी अदा नहीं की जा रही है जिसे वसूल किए जाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

अतः वन निगम द्वारा विकास कार्यो हेतु किए गए वृक्षो के पातन की रायल्टी ₹ 11.89 लाख अदा न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

वन निगम को वर्ष 2018-19 एव वर्ष 2019-20 में पातन हेतु आवंटित विकास कार्यो की लाटों से अनुमानित प्राप्त होने वाली रॉयल्टी

लॉट संख्या	प्रजाति	अनुमानित आयतन	रॉयल्टी दर	अनुमानित राजस्व
42/2018-19	सागौन	6.712	33852	227215
	गुटेल	1.69	740	1251
	कोकाट	0.368	6889	2535
	कंजू	17.732	2223	39418
	खेर	0.085	38969	3312
	जामुन	0.057	4507	257
43/2018-19	सागौन	16.756	33852	567224
	कंजू	32.246	2223	71683
	रोहिणी	2.096	1292	2708
	गुटेल	1.347	740	997
	कोकाट	0.571	6889	3934
	बकैन	0.085	6889	586
	सेमल	6.944	2069	14367
	गूलर	0.122	219	27
	हलदु	2.373	12910	30635
	पेपर पलवारी	1.397	369	515
	यूकेलिपटस	1.119	4946	5535
	शीशम	0.443	31300	13866
18/2019-20	शीशम हरा खड़ा	1.474	37432	55175
	शीशम सूखा खड़ा	3.804	37432	142391
	कंजू हरा खड़ा	2.536	2163	5485
योग		**99.957**	**योग**	**1189115.557**

(राजस्व से संबन्धित)

भाग- दो ब

प्रस्तर :03 अवैध पातन किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 7.58 लाख।

किसी वन से किसी निजी व्यक्ति द्वारा वृक्षों का पातन एवं हटाया जाना भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। वन उत्पादों के इस प्रकार अवैध तरीके से हटाये जाने को रोकने के लिए नियंत्रणकारी गतिविधियां जैसे कि वन क्षेत्रों की नियमित गश्त, महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर वन नियंत्रण चौकियों की स्थापना एवं वन बीटों में पर्याप्त मानव शक्ति की उपलब्धता इत्यादि आवश्यक हैं।

आरक्षित वन से बिना वैध अनुमति के पेड़ की निकासी करना वन अपराध है एवं अर्थदण्ड सहित दंडनीय है। अतः वन उपज के अवैध पातन को रोकने हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर वन जांच चौकी वन प्रभाग की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। जिसके लिए वन विभाग द्वारा जांच चौकियों की स्थापना की जाती है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रामनगर वन प्रभाग,रामनगर के कार्यालय के अवैध पातन संबंधी वर्ष 2019-20 के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि अवैध पातन संबंधी वृक्षो जिनको जब्त नहीं किया जा सका का विवरण निम्न है।

वर्ष	**अवैध पातन के मामलों की संख्या**	**नाजायज कटे व्रक्षों की संख्या**	**नाजायज कटे व्रक्षों का आयतन जो पकड़ा नहीं गया (घन.मी. में)**	**वन संपदा का मूल्य (रूपये में)**
20-2019	**30**	**70**	**31.7741**	**758468**

ऊपर की तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 की अवधि में ₹ 7.58 लाख मूल्य का 31.7741 घनमीटर प्रकाष्ठ को बरामद नहीं किया जा सका क्योंकि विभाग अपराधियों को पकड़ नहीं सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने गश्तों की संख्या बढ़ा कर अवैध पातन को रोकने का प्रयास करने का आश्वासन दिया है।

अतः अवैध पातन न रोक पाने के कारण ₹ 7.58 मूल्य की वन संपदा की हानि का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(राजस्व से संबन्धित)

भाग दो (ब)

प्रस्तर -04 बकाया राजस्व की वसूली न किया जाना।

प्रभागीय वनधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, राम नगर (नैनीताल) के राजस्व बकाया वर्ष 2019-20 माह मार्च 2020 की मासिक प्रगति विवरण की जांच मे पाया गया कि प्रभाग का वन निगम उत्तर प्रदेश पर ₹ 9581765 बकाया है तथा उत्तराखंड वन विकास निगम पर ₹ 204412 का बकाया है। यह बकाया पूर्व के वर्षो का है एव लेखापरीक्षा अवधि में इसमें कोई भी वसूली नहीं की जा सकी है। बकाया की वसूली के विषय में प्रभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में कोई भी प्रयास किया गया नहीं पाया गया और न ही इस बकाया राजस्व के write off के विषय में ही कोई कार्यवाही की हुई पायी गयी।

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बकाया की वसूली हेतु वन निगम से लगातार पत्राचार किए जा रह है।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर 05: अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा देय जमानत धनराशि जमा न कराया जाना ₹ 1.06 लाख।

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रदेश, नैनीताल के स्थायी आदेश संख्या 2/25-14 दिनांक 02-11-98 के अनुसार वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रतिभूति राशि का निर्धारण किया गया है जो निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	पदनाम	निर्धारित प्रतिभूति की
1	वन राज़िक़ तथा उप वन राज़िक़(रेंज प्रभार	25000
2	उप वन राज़िक़	20000
3	वन दरोगा	10000
4	वन रक्षक	5000
5	कार्यालय अधीक्षक एवं प्रधान लिपिक	3000
6	वरिष्ठ सहायक	2000
7	आशुलिपिक	5000

कार्यालय के 04/2019 से 03/2020 तक के जमानत जमा के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि प्रभाग मे कार्यरत 24 अधिकारियों/कर्मचारियों (सूची संलग्न) द्वारा जमा की जाने वाली जमानत धनराशि ₹1,07,800/- अवशेष है ।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर दिया गया कि अवशेष जमानत धनराशि जमा करा ली जाएगी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

रामनगर वन प्रभाग के **vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh tekur**

अवशेष सूची

क्र0 स0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	देय जमा राशि	प्रभाग में जमा जमानत प्रपत्र/पासबुक की धनराशि	अवशेष
1.	**श्रीमती प्रमिला पंत**	**प्रधान सहायक**	2000.00	1000	1000.00
2.	श्री चन्दन सिंह	प्रधान सहायक	2000.00	500.00	1500.00
3.	श्री राम सिंह	डाकिया	1000.00	400.00	600.00
4.	श्री मदन सिंह मेहरा	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
5.	श्री देव सिंह मेहरा	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
6.	श्री नरेन्द्र कुमार कोली	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
7.	श्री देवकी नन्दन	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
8.	श्री जीवन सिंह भाकुनी	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
9.	श्री दिवान सिंह नेगी	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
10.	श्री नन्दन राम	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
11.	श्री दिनेश चन्द्र	वन दरोगा	10000.00	4000.00	6000.00
12.	श्री विशन सिंह बोरा	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
13.	श्री बृज मोहन सिंह नेगी	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
14.	श्री भुवनेश कुमार टम्टा	वन दरोगा	10000.00	4000.00	6000.00
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह	वन दरोगा	10000.00	4000.00	6000.00
16.	श्री विनोद कुमार जोशी	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
17.	श्री जगदीश प्रसाद	वन आरक्षी	5000.00	4000.00	1000.00
18.	श्री मोहन चन्द्र बुदलाकोटी	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
19.	श्री भुपेन्द्र सिंह	वन दरोगा	10000.00	2000.00	8000.00
20.	श्री धीरज कुमार	वन आरक्षी	5000.00	1000.00	4000.00
21.	श्री रेवाधर जोशी	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
22.	श्री गोधन सिंह	वन दरोगा	10000.00	5000.00	5000.00
23.	श्री ख्याली राम	वन दरोगा	10000.00	4000.00	6000.00
24.	श्रीमती विमला देवी मनराल	माली	1000.00	300.00	700.00
				Total	₹1,05,800/-

(व्यय से संबन्धित)

भाग दो (ब)

प्रस्तर-06 क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किए जाने से अवरुद्ध धनराशि ₹ 55.01 लाख ।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए नियमो के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बनाए गए नियमो के अनुसार वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग मे लाने हेतु मंजूरी देते समय वनेत्तर प्रयोजनों के लिए उपयोग मे लायी जाने वाली वन भूमि के प्रस्तावों के साथ एक व्यापक योजना बनाकर प्रस्तुत करना होता है वनेत्तर प्रयोजनों हेतु दी जाने वाली वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यदि गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है या वनेत्तर प्रयोजन हेतु दी जाने वाली वन भूमि से कम है तो वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयोग मे लाये जा रहे क्षेत्र से दुगने अवक्रमित वन क्षेत्र मे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

प्रभागीय वनधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, राम नगर (नैनीताल) के वन भूमि स्थानांतरण के प्रकरणो की जांच मे पाया गया कि प्रभाग की वन भूमि गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तांतरित की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार था।

क्र. सं.	**योजना जिसके लिए वन भूमि हस्तांतरित की गयी**	**वन भूमि हस्तांतरण/स्वीकृत किए जाने की दिनांक**	**क्षेत्रफल (हे0 मे)**	**क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्राप्त धनराशि (₹ मे)**
1	सोनजाला-गुनियाजला-फ़तेहपुर मोटर मार्ग	03.10.2017	1.89	4,91,400
2	पी एम जी एस वाई के अंतर्गत एन एच -87 के काठगोदाम से भदयुनी तक मोटर मार्ग	02.11.2016	5.25	21,98,343
3	हल्द्वानी-रामनगर मोटर मार्ग से क्यारीखान तक संपर्क मार्ग	07.12.2010	4.00	5,38,840
4	पी एम जी एस वाई फेज-6 के अंतर्गत बसानी-नाइसोला-बोरगोन-देविधुरा मोटर मार्ग	22.03.2012	16.87	22,72,558
योग				**55,01,141**

उपरोक्त स्थानातरित वन भूमि पर वृक्षारोपण किए जाने के संबंध मे कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जिससे धनराशि ₹55,01,141 अवरोधित थी।

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि तालिकानुसार वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों मे अन्य प्रभागो मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि चयनित की गयी है। चूंकि जमा धनराशि सीधा चयनित प्रभाग को उच्चस्तर से हस्तांतरित की जाती है। अतः अन्य प्रभागों को समय-समय क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबन्धित पत्र प्रेषित किए गए है।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि भूमि का हस्तांतरण वर्ष 2010 से वर्ष 2017 तक किया गया है। जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण इतने वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी नहीं किया गया था। जो कि प्रभाग के पत्र संख्या 1159/12-1 दिनांक 24.12.2019 से स्पष्ट है। अतः र 55.01 लाख की धनराशि का अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

(व्यय से संबन्धित)

भाग - दो (ब)

प्रस्तर :07 वन पंचायतों को दी गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ना किया जाना ₹ 38.11 लाख।

सहायता अनुदान के सम्बन्ध में उपयोग्ता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम 19-ए में दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना था। उपयोग की गयी धनराशि के मात्रात्मक व गुणतापरक लक्ष्यों की पूर्ति से सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्ट अथवा लक्ष्य पूर्णता के साक्ष्य रखे जाने अपेक्षित है।

प्रभागीय वनाधिकारी,रामनगर वन प्रभाग,रामनगर के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा कैम्पा योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में विभिन्न वन पंचायतों को ₹ 38.11 की धनराशि चेक डैम निर्माण, management of invasive species, workshop and training तथा fire protection activities हेतु उपलब्ध कराई गयी थी(विवरण संलग्न)

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान में प्रभाग में उपलब्ध नहीं है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि वन पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

अतः वन पंचायतों को दी गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ना किया जाना ₹ 38.11 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(व्यय से संबन्धित)

भाग दो ब

प्रस्तर – 08 वन जमा मे धनराशि का अवरुद्ध रहना ₹ 151.13 लाख।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए नियमो के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बनाए गए नियमो के अनुसार वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग मे लाने हेतु मंजूरी देते समय वनेत्तर प्रयोजनों के लिए उपयोग मे लायी जाने वाली वन भूमि के प्रस्तावों के साथ एक व्यापक योजना बनाकर प्रस्तुत करना होता है वनेत्तर प्रयोजनों हेतु दी जाने वाली वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यदि गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है या वनेत्तर प्रयोजन हेतु दी जाने वाली वन भूमि से कम है तो वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयोग मे लाये जा रहे क्षेत्र से दुगने अवक्रमित वन क्षेत्र मे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

प्रभागीय वनधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, राम नगर (नैनीताल) के लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि प्रभाग के वन जमा मे धनराशि विगत कई वर्षो से बिना उपयोग के पड़ी थी (मार्च 2020 तक)। जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

क्र0सं0	**विवरण**	**धनराशि (₹ मे)**
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण/मोटर मार्गो के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षारोपण	4357867
2	नया गाँव तथा वाटर हाल्स	82315
3	वन अपराध मुआवजा	3750
4	नया गाँव झरने मे आए पर्यटको से प्राप्त	863941
5	ए0एन0आर0 क्षेत्रो से प्राप्त	5833246
6	प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक पूर्वी कलधुंगी से प्राप्त	22538
7	प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखंड से प्राप्त धनराशि	3866106
8	प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक उत्तराखंड वन विकास निगम से वन चौकी लाट की बिक्री की धनराशि	83700
योग		**1,51,13,464**

उपरोक्त विवरण के क्रमांक 01 पर अंकित धनराशि ₹ 43,57,867 क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबन्धित था। प्रभाग द्वारा यह धनराशि विगत कई वर्षो के बिना उपयोग के वन जमा मे अवरुद्ध की गयी थी। यदि इस धनराशि से वर्ष 2019 की वृक्षारोपण की अनुसूचित दर ₹ 81536 प्रति हेक्टेयर की दर से भी वृक्षारोपण किया गया होता तो कम से कम 53.44 है0 वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जा सकता था। वन जमा मे पड़ी 3 वर्षो से अधिक अवधि की धनराशि कालातीत हो चुकी है जो बिना पूर्णवैधिकरण के व्यय नहीं की जा सकती है।

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि को पुनर्वैद्य कराएं के प्रयास किया जा रहा है।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

(व्यय से संबन्धित)

भाग दो ब

प्रस्तर- 09 सेवा शुल्क के र 4.14 लाख का अधिक भुगतान एवं संविदा कर्मियों के ई एस आई एवं ई पी एफ जमा नहीं कराया जाना ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, राम नगर में आउट सोर्सिंग के माध्यम से अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रेणी के मानव संशाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रभाग के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि वर्ष 2019-20 मे प्रयोक्ता एजेंसी मै0 ग्लोबल एजेंसी एवं उज्जवल श्रम संविदा सहकारी समिति देहरादून द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01.06.2018 से नियोक्ता एवं कार्मिक का अंश 13 % एवं 12 % तथा ई0एस0आई0 हेतु दिनांक 30.06.2019 से पूर्व नियोक्ता एवं कार्मिक का अंश क्रमशः 4.75 % एवं 1.75% तथा दिनांक 01.07.2019 से 3.25% एवं 0.75% निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, प्रभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार ई पी एफ 13% एवं ई एस आई 4.75% एवं 3.25% की निर्धारित प्रतिशतता अंश को दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक का भुगतान नहीं किया गया। उक्त के अतिरिक्त जांच मे यह पाया गया कि एजेंसी द्वारा विना निविदा आमंत्रित किए ही मानव संसाधन उपलब्ध करने हेतु सेवा शुल्क 7 प्रतिशत की दर से दिया गया था। इस प्रकार वर्ष 2019-20 मे ₹ 4,13,527 का लाभ (सेवा शुल्क) बिना निविदा आमंत्रित किए ही दिया गया था। साथ ही माह अप्रैल 2019 से माह सितंबर 2019 तक मानव संसाधन सर्विस के लिए ₹1700 की दर से अधिक भुगतान किया गया था। इन कार्मिको की नियुक्ति के लिए उच्चाधिकारियों से स्वीकृति नहीं ली गयी थी। ग्लोबल एजेंसी द्वारा दिये गए बिल पर कितने संविदा कर्मियों का भुगतान पदवार किया गया था, का विवरण अंकित नहीं था। विभाग द्वारा संविदा कर्मियों हेतु ई पी एफ एवं ई एस आई का भुगतान एजेंसी को नहीं किया जा रहा था।

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभाग ढगारी एरिया मे होने के कारण अग्नि दुर्घटना का अत्यधिक खतरा रहता है जिससे उक्त कार्मिको की नियुक्ति की गयी है। ग्लोबल एंजेसी द्वारा दिये गये बिल पर कितने कर्मिकों का भुगतान किया गया के सम्बन्ध में बताया गया कि रेंज के अनुसार दावा किया गया है इसकी सूचना लेकर सूचित किया जाएगा। ई पी एफ एवं ई एस आई का भुगतान संविदा कर्मिकों को किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया कि जमा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। ₹ 1700 की दर से अधिक भुगतान करने के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया कि संविदा कर्मियों से वसूली कर ली गयी है साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि प्रभाग द्वारा वर्ष 2019-20 मे 114 (सूची के अनुसार) संविदा कार्मिक नियुक्त थे। जिनके संबंध मे उच्चाधिकारी की अनुमति प्राप्त किया जाना था। ग्लोबल एजेंसी के दावा कृत बिल पर संविदा कर्मियों की सूचना अंकित किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार र 4,13,527 के सेवा शुल्क के अधिक भुगतान एवं संविदा कर्मियों के ई एस आई एवं ए पी एफ जमा नहीं कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी यदि कोई हो	STAN
141/2014-15	-	01,02,03	-	-
08/2016-17	-	01,02,03,04	-	-
12/2018-19	-	01,02,03,04,05	-	
17/2019-20	-	01,02		

<u>व्यय से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी यदि कोई हो	STAN
17/2019-20	-	1,2		

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री वी.पी. सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांये।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV